कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर–332001

ई–मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572–245057

क्रमांकः– न.वि.न्या/नियमन/2023/2458 दिनांकः– 01-05-2023

प्रेषितीः–

मेसर्स बालाजी एंटरप्राइजेज भास्कर हाईट सिल्वर जुबली रोड़ सीकर
जरिये अधिकृत भागीदार दिनेश कुमार बियाणी पुत्र श्री श्याम सुन्दर बियाणी
जाति महाजन निवासी फ्लेट नम्बर 202, 203 शुभम अपार्टमेंट
महामन्दिर रोड़ रामलीला मैदान, सीकर

विषयः– राजस्व ग्राम समर्थपुरा तह. सीकर के खसरा नम्बर 286 रकबा 0.0400 है., खसरा नम्बर 1062/287 रकबा 1.2670 है. व खसरा नम्बर 422 रकबा 0.0400 है. अर्थात कुल रकबा 13470.00 वर्गमीटर में से 13032.00 वर्गमीटर (मौके पर उपलब्धानुसार) भूमि पर प्राइड सिटी आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम समर्थपुरा तह. सीकर के खसरा नम्बर 286 रकबा 0.0400 है., खसरा नम्बर 1062/287 रकबा 1.2670 है. व खसरा नम्बर 422 रकबा 0.0400 है. अर्थात कुल रकबा 13470.00 वर्गमीटर में से 13032.00 वर्गमीटर (मौके पर उपलब्धानुसार) भूमि पर प्राइड सिटी आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है–

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनिकीविद की देख–रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों और सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होगें तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
5. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
6. भू–खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू–खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
7. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
8. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 31, 32 व 33) भू–खण्ड का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
9. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintnance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allotees).
10. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
11. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्नः– योजना मानचित्र।

नगर विकास न्यास सीकर

(राजपाल यादव RAS)
सचिव,
नगर विकास न्यास, सीकर

"PRIDE CITY" RESIDENTIAL SCHEME

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO. 1062/287,422,286 SIKAR PILRALI ROAD, SIKAR
REVENUE VILL. -SAMARTHPURA DIST. SIKAR (RAJ.)
FOR- 90A RESIDENTIAL SCHEME
APPLICANT:- M/S BALAJI ENTERPRISES, BHASKAR HEIGHT'S, SILVER JUBLEE ROAD, SIKAR,(RAJ.)
THROUGH:- AUTHORIZED PARTNER- DINESH BIYANI S/O SHYAMSUNDAR BIYANI

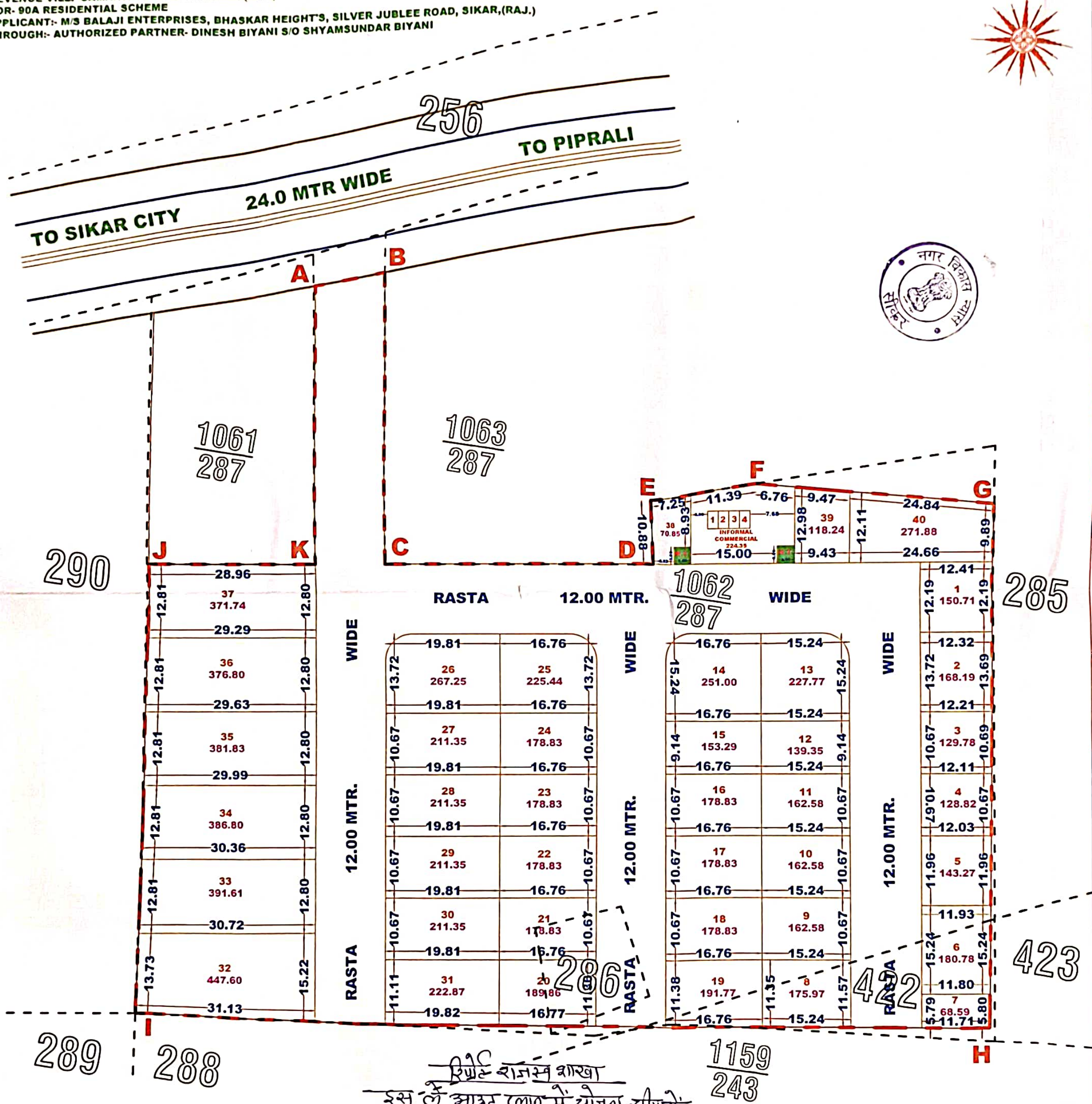

प्रिंट राजस्व शाखा

इस ले आउट प्लान में योजना सीमायें प्रदर्शित क्षेत्र का राजस्व नक्शा से मिलान किया गया जो लगभग अनुरूप है

न्यास ILR

URBAN IMPROVEMENT TRUST SIKAR

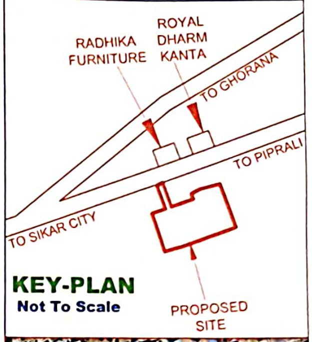

KEY-PLAN
Not To Scale

GOOGLE EARTH IMPOSING

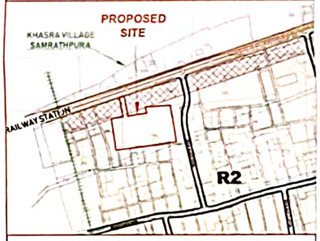

SECTOR PLAN IMPOSING

AREA ANALYSIS

S.N	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%
1	RESIDENTIAL	8417.01	64.59%
2	INFORMAL COMMERCIAL	0224.35	01.72%
3	MOBILE TOWER	0018.00	00.14%
4	ROAD	4372.64	33.55 %
5	TOTAL	13032.00	100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL

	PARTICULARS	NO.
1.	RESIDENTIAL PLOT'S	40
2.	INFORMAL COMMERCIAL	4
3.	MOBILE TOWER	2

- - - -	SCHEME BOUNDARY
- - - -	KHASRA LINE
———	PLOT BOUNDARY

NOTE:- ALL DIMENSIONS ARE IN METER

SCALE-1 C.M. = 6.0 MTR

TOTAL AREA IN KH. NO. 422=400.00 SQ. MTR
TOTAL AREA IN KH. NO. 286=400.00 SQ. MTR
TOTAL AREA IN KH. NO. 1062/287=12670.00 SQ. MTR
TOTAL AREA = 13470.00 SQ. MTR
TOTAL AREA AVAILABLE AT SITE= 13032.00 SQ. MTR

27/04/2023
(मोहम्मद अजहर ...)
उप नगर नियोजक

27/4/2023
बी.एम. शर्मा
अधिशाषी अभियन्ता
न.वि. न्यास, सीकर

27/4/2023
राजपाल यादव (RAS)
सचिव
नगर विकास न्यास, सीकर

JK CONSULTANCY
1st Floor, Sangam Tower,
Opp. Jaat boarding, Sikar
9928338794, 7891067650